

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
 तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ
 दूरभाष संख्या : 2349903,2349902

निविदा सूचना सं० 03/मविनि/मु०म०प्र०/2017

दिनांक : 24-03-2017

अल्पकालीन निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की विभिन्न हैचरियों हेतु निम्नानुसार मात्रा में सामग्री की आवश्यकता है। मुहरबन्द निविदायें दिनांक 10.04.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, उक्त आमंत्रित निविदायें उसी दिन अपरान्ह 2.30 बजे पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ में खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र निगम मुख्यालय या निगम की वेबसाइट www.fisheries.up.nic.in से डाउन लोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। डाउन लोड निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र पर अंकित विक्रय मूल्य की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट देना होगा तथा निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निर्धारित तिथि व समय से पूर्व डाक से निगम को प्राप्त होना अनिवार्य है। डाक द्वारा निविदा विलम्ब से मिलने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होंगे। निविदा प्रपत्र दिनांक **03.04.2017** से प्राप्त किये जा सकते हैं। सामग्री संबंधी विवरण किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य देखा जा सकता है। धरोहर धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा एफ०डी०आर० के रूप में प्रबन्ध निदेशक, **उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम** के पक्ष में बन्धक हो, निविदा प्रपत्र के साथ ही जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना निविदा मान्य न होगी। सभी निविदायें या किसी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक को होगा। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 6 माह की अवधि तक आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार निगम को निविदित धनराशि पर होगा। दरे स्वीकृत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सामग्री आपूर्ति हेतु अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा तथा सामग्री की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर करना होगा। प्रत्येक सामग्री हेतु निविदा निम्न प्रकार देनी होगी:-

क्र० सं०	सामग्री का नाम	मानक	अनुमानित मात्रा कुन्तल/लीटर/मीटर	धरोहर धनराशि रु०	निविदा मूल्य रु०
01-	कली चूना	बिना बुझा ताजा ढेले वाला	425 कुन्तल	10,000.00	100.00 +5 प्रतिशत वैट टैक्स अतिरिक्त
02-	फिल्टर 1/60 मेश 48' अर्ज	एच.डी.पी.ई.	600 मीटर	400.00	100.00 +5 प्रतिशत वैट टैक्स अतिरिक्त
03-	फिल्टर 1/120 मेश 54' अर्ज	एच.डी.पी.ई.	270 मीटर	200.00	
04-	फर्दीजाल	60 X8 मीटर	09 नग	2,500.00	
05-	कन्डीसनिंग हापा	एच.डी.पी.ई.	34 नग	500.00	
06-	फ्राईनेट जाल(छावा सहित)	60 X8 मीटर	05 नग	2,000.00	
07-	हैन्डनेट	एच.डी.पी.ई.	24 नग	500.00	100.00 +5 प्रतिशत वैट टैक्स अतिरिक्त
08-	उत्प्रेरक मत्स्य प्रजनन हारमोन (10 एम०एल पैकिंग में)	एस.जी.एन.ए.आर.एच. प्रिजर्वेटिव व अन्य	970 वायल	4,000.00	

निविदा केवल वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की ही मान्य होगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।

मुख्य महाप्रबन्धक

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ

कली चूना की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,
तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड,
इन्दिरानगर, लखनऊ

महोदय,

मैंने/हमने निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र एवं संलग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली-भांति समझ लिया है। मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं। निविदा की स्वीकृति की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुए भारतीय स्टैम्प अधिनियम में निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बाण्ड पूर्ण करने को तैयार हूँ/हैं और निविदा में नीचे दी गई सामग्री की निर्धारित धरोहर धनराशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं। एग्रीमेंट बाण्ड न भरने एवं जमानत का रुपया न जमा करने पर निगम को धरोहर की धनराशि जब्त कर लेने का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त सामग्री की पूर्ति-आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों में निर्धारित अवधि में अंकित दरों पर देने को बाध्य होऊँगा/होंगे। आपूर्ति समयानुसार न करने पर निगम को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा। राइस पालिस, सरसों की खली, महुआ की खली की आपूर्ति जूट के सिले हुये बोरों में तथा कली चूने की आपूर्ति एच0डी0पी0ई0 बैग, जोकि मजबूत धागे से सिला हो, में निगम की विभिन्न हैचरियों पर संलग्न विवरण के अनुसार आपूर्ति की जायेगी। प्रत्येक सामग्री की दर एक ही दी जायेगी।

सामग्री विवरण	मानक	मात्रा कुन्तल	धरोहर (₹0)	दर (₹0) वाणिज्य प्रति कुन्तल कर
---------------	------	---------------	------------	---------------------------------

कली चूना	ताजा ढेलेवाला	425	10,000.00	
----------	---------------	-----	-----------	--

सामग्री आपूर्ति अवधि : आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिन में।

धरोहर धनराशि का विवरण : एफ.डी.आर../बैंकड्राफ्ट संख्या

यदि निविदा प्रपत्र निगम की बेवसाइट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि के अतिरिक्त ₹0 100.00+ 5 प्रतिशत वैट टैक्स सहित का डिमान्ड ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।

- 1- निविदादाता का नाम :-
- 2- निविदादाता का पता :-
- 3- वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन संख्या (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाये)

निविदादाता के हस्ताक्षर व तिथि

निगम की विभिन्न हैचरियों पर कली चूना की आपूर्ति का विवरण

(मात्रा कुन्तल में)

क्र०सं०	हैचरी का नाम	कली चूना
1—	गोमती हैचरी	50.00
2—	खुटार हैचरी	30.00
3—	त्रिवेणी हैचरी	50.00
4—	अमेठी हैचरी	80.00
5—	सरयू हैचरी	40.00
6—	राप्ती हैचरी	50.00
7—	गोरखनाथ हैचरी	50.00
8—	परीक्षितगढ हैचरी	25.00
9—	कोंच हैचरी	50.00
योग		425.00

निविदादाता के हस्ताक्षर व तिथि

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ

कली चूना की आपूर्ति हेतु निविदा की मुख्य-मुख्य शर्तें

निविदादाता को विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु नीचे दी गई शर्तों को भली-भांति पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर करना होगा, अहस्ताक्षरित निविदा मान्य नहीं होगी :-

- 01- निविदा फार्म अहस्तान्तरणीय है।
- 02- निविदादाता का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग में होना अनिवार्य है।
- 03- निविदादाता भारत का नागरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न होनी चाहिए।
- 04- निविदा के साथ विभिन्न सामग्री हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी, जो अनुबन्ध पत्र पूर्ण न किये जाने की दशा में जब्त की जा सकती है। अनुबन्ध करते समय आपूर्ति सामग्री के मूल्य की धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि जमा करनी होगी, जो सफल आपूर्ति के पश्चात वापस की जा सकेगी। निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जमानत धनराशि में भी समायोजित की जा सकती है। अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 05- निविदा में अपना नाम व पता साफ-साफ लिखना होगा तथा लिफाफे के ऊपर सामग्री का नाम भी लिखना होगा, जिसके दो सीलड नमूने निविदा के साथ ही संलग्न करने होंगे। बिना सैम्पुल वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 06- मुहरबन्द निविदा, निविदा क्रय की प्राप्ति रसीद व धरोहर धनराशि के बैंकड्राफ्ट/एफ. डी.आर. जो प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के पक्ष में निर्गत हो, सामग्री के नमूनों सहित प्रत्येक स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 10.04.2017 को समय अपरान्ह 2.00 बजे तक डाली जा सकती हैं। बिना धरोहर धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 07- निगम की वेब साइट से डाउन लोड निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र पर अंकित विक्रय मूल्य की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के अतिरिक्त देना होगा तथा निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निर्धारित तिथि पर निगम कार्यालय को प्राप्त होना अनिवार्य है। डाक द्वारा निविदा प्रेषित करने की स्थिति में निविदा दिनांक 10.04.2017 समय 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है तथा इसके पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक विभाग के बिलम्ब के प्रति निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 08- निविदा दिनांक 10.04.2017 को अपरान्ह 2.30 बजे क्रय समिति के द्वारा निगम के पंजीकृत कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी तथा दरों के अनुमोदन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

- 09- निविदा खुलने पर सफल निविदादाता को आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पूर्ण कर जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
 - 10- आपूर्तिकर्ता द्वारा सफल आपूर्ति किये जाने के तीन माह के पश्चात जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
 - 11- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 - 12- किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
 - 13- आपूर्ति संतोषजनक कर दिये जाने के पश्चात आपूर्ति के बीजक सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किये जायेंगे। जिनके द्वारा संतोषजनक आपूर्ति के सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता के बीजक से नियमानुसार वैट टैक्स कटौती करते हुए निगम द्वारा वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा कराया जायेगा और की गई वैट कटौती के प्रति आपूर्तिकर्ता को निगम से टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र व फार्म 31 निर्गत किया जायेगा।
 - 14- अस्वीकृत माल की वापसी निविदादाता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अपने व्यय पर वापस ले जाना होगा।
 - 15- सामग्री की आपूर्ति में कमी होने पर या आपूर्ति निर्धारित समय के अन्दर न करने पर निगम को अधिकार होगा कि वह अन्य श्रोतों से सामग्री क्रय कर ले, जिसके फलस्वरूप हुई हानि की वसूली आपूर्तिकर्ता के बीजकों/जमानत धनराशि से की जायेगी तथा इसके उपरान्त भी कोई अवशेष धनराशि रह जायेगी तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।
 - 16- सामग्री की आपूर्ति विलम्ब से होने की दशा में देर से आपूर्तित सामग्री के मूल्य पर 02 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से दण्ड धनराशि की कटौती बीजक से की जायेगी।
 - 17- आपूर्तिकर्ता निविदा में दी गई दरों की स्वीकृति की तिथि से आगामी छः माह तक उन्हीं दरों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु बाध्य होगा। छः माह के उपरान्त आपूर्तिकर्ता यदि आगामी छः माह हेतु उसी दर पर आपूर्ति करने का इच्छुक हो तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से विचार-विमर्श कर सामग्री की आपूर्ति कर सकता है।
 - 18- किसी भी सामग्री की निविदा दर के सम्बन्ध में निगम को निगोशियन का अधिकार होगा।
 - 19- किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा तथा सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। सषर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
- मैंने/हमने ऊपर लिखित समस्त शर्तों को भली प्रकार से पढ़ व समझ लिया है तथा मुझे/हमे उक्त सभी शर्तें पूर्णतः मान्य हैं।

साक्षी:-

- 1- नाम व हस्ताक्षर
- 2- नाम व हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ

उत्प्रेरक मत्स्य प्रजनन हारमोन की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0मत्स्य विकास निगम लि0,
तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड,
इन्दिरानगर, लखनऊ

महोदय,

मैंने/हमने निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र एवं संलग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली-भांति समझ लिया है। मुझे/हमे सभी शर्तें स्वीकार हैं। निविदा की स्वीकृति की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुए भारतीय स्टैम्प अधिनियम में निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बाण्ड पूर्ण करने को तैयार हूँ/हैं और निविदा में नीचे दी गई सामग्री की निर्धारित धरोहर धनराशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं। एग्रीमेंट बाण्ड न भरने एवं जमानत का रुपया न जमा करने पर निगम को धरोहर की धनराशि जब्त कर लेने का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त सामग्री की पूर्ति-आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों में निर्धारित अवधि में अंकित दरों पर देने को बाध्य होऊँगा/होंगे। आपूर्ति समयानुसार न करने पर निगम को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा। सामग्री की आपूर्ति निगम के पंजीकृत कार्यालय, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ पर की जायेगी।

क्र0स0	सामग्री का नाम एवं मानक	मात्रा	धरोहर(रू0)	दर (रू0)	वाणिज्य कर
1-	उत्प्रेरक मत्स्य प्रजनन हारमोन (10एम.एल.पैकिंग में) मानक :- एस.जी,एन,ए,आर,एच, प्रिजर्वेटिव व अन्य	970 वायल	4,000.00		

उत्प्रेरक मत्स्य प्रजनन हारमोन की आपूर्ति अवधि : आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिन में।

धरोहर धनराशि का विवरण : एफ.डी.आर../बैंकड्राफ्ट संख्या

यदि निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि के अतिरिक्त रू0 100.00 +5प्रतिशत वैट टैक्स सहित का डिमान्ड ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।

- 1- निविदादाता का नाम :-
- 2- निविदादाता का पता :-
- 3- वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन संख्या
(प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाये)

निविदादाता के हस्ताक्षर व तिथि

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ

उत्प्रेरक मत्स्य प्रजनन हारमोन्स की आपूर्ति हेतु निविदा की मुख्य-मुख्य शर्तें

निविदादाता को विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु नीचे दी गई शर्तों को भली-भांति पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर करना होगा, अहस्ताक्षरित निविदा मान्य नहीं होगी :-

- 01- निविदा फार्म अहस्तान्तरणीय है।
- 02- निविदादाता का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग में होना अनिवार्य है।
- 03- निविदादाता भारत का नागरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न होनी चाहिए।
- 04- निविदा के साथ विभिन्न सामग्री हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी, जो अनुबन्ध पत्र पूर्ण न किये जाने की दशा में जब्त की जा सकती है। अनुबन्ध करते समय आपूर्ति सामग्री के मूल्य की धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि जमा करनी होगी, जो सफल आपूर्ति के पश्चात वापस की जा सकेगी। निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जमानत धनराशि में भी समायोजित की जा सकती है। अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 05- निविदा में अपना नाम व पता साफ-साफ लिखना होगा तथा लिफाफे के ऊपर सामग्री का नाम भी लिखना होगा, जिसके दो सीलड नमूने निविदा के साथ ही संलग्न करने होंगे। बिना सैम्पुल वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 06- मुहरबन्द निविदा, निविदा क्रय की प्राप्ति रसीद व धरोहर धनराशि के बैंकड्राफ्ट/एफ. डी.आर. जो प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के पक्ष में निर्गत हो, सामग्री के नमूनों सहित प्रत्येक स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 10.04.2017 को समय अपरान्ह 2.00 बजे तक डाली जा सकती हैं। बिना धरोहर धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 07- निगम की वेब साइट से डाउन लोड निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र पर अंकित विक्रय मूल्य की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के अतिरिक्त देना होगा तथा निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निर्धारित तिथि पर निगम कार्यालय को प्राप्त होना अनिवार्य है। डाक द्वारा निविदा प्रेषित करने की स्थिति में निविदा दिनांक 10.04.2017 समय 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है तथा इसके पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक विभाग के बिलम्ब के प्रति निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 08- निविदा दिनांक 10.04.2017 को अपरान्ह 2.30 बजे क्रय समिति के द्वारा निगम के पंजीकृत कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी तथा दरों के अनुमोदन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

- 09- निविदा खुलने पर सफल निविदादाता को आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पूर्ण कर जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
 - 10- आपूर्तिकर्ता द्वारा सफल आपूर्ति किये जाने के तीन माह के पश्चात जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
 - 11- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 - 12- किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
 - 13- आपूर्ति संतोषजनक कर दिये जाने के पश्चात आपूर्ति के बीजक सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किये जायेंगे। जिनके द्वारा संतोषजनक आपूर्ति के सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता के बीजक से नियमानुसार वैट टैक्स कटौती करते हुए निगम द्वारा वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा कराया जायेगा और की गई वैट कटौती के प्रति आपूर्तिकर्ता को निगम से टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र व फार्म 31 निर्गत किया जायेगा।
 - 14- अस्वीकृत माल की वापसी निविदादाता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अपने व्यय पर वापस ले जाना होगा।
 - 15- सामग्री की आपूर्ति में कमी होने पर या आपूर्ति निर्धारित समय के अन्दर न करने पर निगम को अधिकार होगा कि वह अन्य श्रोतों से सामग्री क्रय कर ले, जिसके फलस्वरूप हुई हानि की वसूली आपूर्तिकर्ता के बीजकों/जमानत धनराशि से की जायेगी तथा इसके उपरान्त भी कोई अवशेष धनराशि रह जायेगी तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।
 - 16- सामग्री की आपूर्ति विलम्ब से होने की दशा में देर से आपूर्तित सामग्री के मूल्य पर 02 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से दण्ड धनराशि की कटौती बीजक से की जायेगी।
 - 17- आपूर्तिकर्ता निविदा में दी गई दरों की स्वीकृति की तिथि से आगामी छः माह तक उन्हीं दरों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु बाध्य होगा। छः माह के उपरान्त आपूर्तिकर्ता यदि आगामी छः माह हेतु उसी दर पर आपूर्ति करने का इच्छुक हो तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से विचार-विमर्श कर सामग्री की आपूर्ति कर सकता है।
 - 18- किसी भी सामग्री की निविदा दर के सम्बन्ध में निगम को निगोशियन का अधिकार होगा।
 - 19- किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा तथा सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। सषर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
- मैंने/हमने ऊपर लिखित समस्त शर्तों को भली प्रकार से पढ़ व समझ लिया है तथा मुझे/हमे उक्त सभी शर्तें पूर्णतः मान्य हैं।

साक्षी:-

- 1- नाम व हस्ताक्षर
- 2- नाम व हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ

फिल्टर कलाथ, फर्दीजाल, फ्राईनेट जाल, कन्डीसनिंग हापा व हैन्डनेट आदि की आपूर्ति हेतु निविदा की मुख्य-मुख्य शर्तें

निविदादाता को विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु नीचे दी गई शर्तों को भली-भांति पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर करना होगा, अहस्ताक्षरित निविदा मान्य नहीं होगी :-

- 01- निविदा फार्म अहस्तान्तरणीय है।
- 02- निविदादाता का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग में होना अनिवार्य है।
- 03- निविदादाता भारत का नागरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न होनी चाहिए।
- 04- निविदा के साथ विभिन्न सामग्री हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी, जो अनुबन्ध पत्र पूर्ण न किये जाने की दशा में जब्त की जा सकती है। अनुबन्ध करते समय आपूर्ति सामग्री के मूल्य की धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि जमा करनी होगी, जो सफल आपूर्ति के पश्चात वापस की जा सकेगी। निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जमानत धनराशि में भी समायोजित की जा सकती है। अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 05- निविदा में अपना नाम व पता साफ-साफ लिखना होगा तथा लिफाफे के ऊपर सामग्री का नाम भी लिखना होगा, जिसके दो सील्ड नमूने निविदा के साथ ही संलग्न करने होंगे। बिना सैम्पुल वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 06- मुहरबन्द निविदा, निविदा क्रय की प्राप्ति रसीद व धरोहर धनराशि के बैंकड्राफ्ट/एफ. डी.आर. जो प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० के पक्ष में निर्गत हो, सामग्री के नमूनों सहित प्रत्येक स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 10.04.2017 को समय अपरान्ह 2.00 बजे तक डाली जा सकती हैं। बिना धरोहर धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 07- निगम की वेब साइट से डाउन लोड निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र पर अंकित विक्रय मूल्य की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के अतिरिक्त देना होगा तथा निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निर्धारित तिथि पर निगम कार्यालय को प्राप्त होना अनिवार्य है। डाक द्वारा निविदा प्रेषित करने की स्थिति में निविदा दिनांक 10.04.2017 समय 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है तथा इसके पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक विभाग के बिलम्ब के प्रति निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 08- निविदा दिनांक 10.04.2017 को अपरान्ह 2.30 बजे क्रय समिति के द्वारा निगम के पंजीकृत कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी तथा दरों के अनुमोदन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

- 09- निविदा खुलने पर सफल निविदादाता को आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पूर्ण कर जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
 - 10- आपूर्तिकर्ता द्वारा सफल आपूर्ति किये जाने के तीन माह के पश्चात जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
 - 11- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 - 12- किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
 - 13- आपूर्ति संतोषजनक कर दिये जाने के पश्चात आपूर्ति के बीजक सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किये जायेंगे। जिनके द्वारा संतोषजनक आपूर्ति के सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी। भुगतान करते समय आपूर्तिकर्ता के बीजक से नियमानुसार वैट टैक्स कटौती करते हुए निगम द्वारा वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा कराया जायेगा और की गई वैट कटौती के प्रति आपूर्तिकर्ता को निगम से टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र व फार्म 31 निर्गत किया जायेगा।
 - 14- अस्वीकृत माल की वापसी निविदादाता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अपने व्यय पर वापस ले जाना होगा।
 - 15- सामग्री की आपूर्ति में कमी होने पर या आपूर्ति निर्धारित समय के अन्दर न करने पर निगम को अधिकार होगा कि वह अन्य श्रोतों से सामग्री क्रय कर ले, जिसके फलस्वरूप हुई हानि की वसूली आपूर्तिकर्ता के बीजकों/जमानत धनराशि से की जायेगी तथा इसके उपरान्त भी कोई अवशेष धनराशि रह जायेगी तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।
 - 16- सामग्री की आपूर्ति विलम्ब से होने की दशा में देर से आपूर्तित सामग्री के मूल्य पर 02 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से दण्ड धनराशि की कटौती बीजक से की जायेगी।
 - 17- आपूर्तिकर्ता निविदा में दी गई दरों की स्वीकृति की तिथि से आगामी छः माह तक उन्हीं दरों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु बाध्य होगा। छः माह के उपरान्त आपूर्तिकर्ता यदि आगामी छः माह हेतु उसी दर पर आपूर्ति करने का इच्छुक हो तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से विचार-विमर्श कर सामग्री की आपूर्ति कर सकता है।
 - 18- किसी भी सामग्री की निविदा दर के सम्बन्ध में निगम को निगोशियन का अधिकार होगा।
 - 19- किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा तथा सामग्री की मात्रा आवष्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। सषर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
- मैंने/हमने ऊपर लिखित समस्त शर्तों को भली प्रकार से पढ़ व समझ लिया है तथा मुझे/हमें उक्त सभी शर्तें पूर्णतः मान्य हैं।

साक्षी:-

- 1- नाम व हस्ताक्षर
- 2- नाम व हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ

फिल्टर कलाथ,फर्दीजाल, फ़ाईनेट जाल, कन्डीसनिंग हापा व हैन्डनेट की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,
तृतीय तल लेखराज मार्केट-2 फैजाबाद रोड,
इन्दिरानगर, लखनऊ

महोदय,

मैंने/हमने निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र एवं संलग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली-भांति समझ लिया है। मुझे/हमे सभी शर्तें स्वीकार हैं। निविदा की स्वीकृति की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुए भारतीय स्टैम्प अधिनियम में निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बाण्ड पूर्ण करने को तैयार हूँ/हैं और निविदा में नीचे दी गई सामग्री की निर्धारित धरोहर धनराशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं। एग्रीमेंट बाण्ड न भरने एवं जमानत का रुपया न जमा करने पर निगम को धरोहर की धनराशि जब्त कर लेने का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त सामग्री की पूर्ति-आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों में निर्धारित अवधि में अंकित दरों पर देने को बाध्य होऊँगा/होंगे। आपूर्ति समयानुसार न करने पर निगम को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा। सामग्री की आपूर्ति निगम के पंजीकृत कार्यालय,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,लखनऊ पर की जायेगी।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मानक	मात्रा	धरोहर (₹0)	दर (₹0)
1-	<u>फिल्टर कलाथ</u>				
	(क) 1/60 मैश 48" अर्ज	एच.डी.पी'ई.	600 मीटर		400.00
	(ख) 1/120 मैश 54" अर्ज	एच.डी.पी'ई.	270 मीटर		200.00
2-	<u>फर्दीजाल</u>				
	साईज-60 मीटर x 8 मीटर		09 नग		2,500.00
3-	<u>फ़ाईनेट जाल</u>				
	फ़ाईनेट,नायलान नाटलेस वेविंग कोड समतुल्य 210/2/3 दोनो ओर 2इंच छावा एवं रस्सी लगी हो, साथ में सिंकर तथा फ्लोटस भी लगे हों, टवाइन कोड 3/3,साईज 60 मीटर x 8 मीटर	1/8 इंच मेश	05 नग		2,000.00
4-	<u>कन्डीसनिंग हापा</u>				
	साईज 4.00 x 2.00 x 1.50 मीटर	एच.डी.पी'ई.	34 नग		500.00
5-	<u>हैन्डनेट</u>	एच.डी.पी'ई.	24 नग		500.00

सामग्री आपूर्ति अवधि : आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिन में।

धरोहर धनराशि का विवरण : एफ.डी.आर../बैंक ड्राफ्ट संख्या

यदि निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि के अतिरिक्त रू0 105.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।

- 1— निविदादाता का नाम :-
- 2— निविदादाता का पता :-
- 3— वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन संख्या
(प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाये)

निविदादाता के हस्ताक्षर व तिथि